प्रस्तावना

संविधान के उद्देश्य में लिखा है कि हम भारत के लोग विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान को अंगीकृत , अधिनियमित व आत्मसर्पित करते है । यहां देने तथ्य यह कि कोई भी विचार या अभिव्यक्ति की पूर्णता तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसके संबंध में जानकारी परी व स्पष्ट न हो संविधान के भाग 3 में नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है । जिसके अनुच्छेद 19 (क) में अभिव्यक्ति स्वतंत्र तथा वाक स्वातंत्र का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है । सदन व मंत्रीयों के कार्य अधिकार और कर्तव्य को मौलिक अधिकारो के बाद रखा गया है, जो यह सिद्ध करता है कि नागरिको को प्रदत्त मौलिक अधिकार सर्वोपरि है । इसी प्रकार अनुच्छेद 39 (क) नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देता है , सम्मानपूर्वक जीने का अर्थ है नागरिको का सूचना संपन्न होना । उच्चतम न्यायालय में भी अनेक मामलों में जैसे उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण (1975) मेनका गॉधी बनाम यूनियन आफ इंण्डिया (1981)सचिव सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय बनाम पश्चिम बंगाल और उडीसा की क्रिकेट एयोासियेसन (1995) तथा एशोासियेसन फार डेमोक्रटीक फार्म और पिपुल यूनियन फार सिविल लिबर्टीस बनाम यूनियन आफ इंडिया (2003) में यही स्पष्ट किया गया है कि सूचना प्राप्ति का अधिकार अपने आप में पारदर्शी एंव सक्षम शासन व्यवस्था को चलाने के लिये आवश्यक और सम्मानपूर्वक जीने अधिकार का ही अंग है तथा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहतार्थ है ।

स्वतंत्रता मानव जीवन का सबसे बडा वरदान है, सबसे बडा अलंकार है । व्यक्ति जीवन का श्रेष्ठतम विकास स्वतंत्रता के वातावरण में कर सकता है , व्यक्ति के गुणों की सुंदरतम अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में ही संभव है ।

किन्तु स्वंतत्रता का निवास कल्पना लोक में नहीं हो सकता , स्वतंत्रता का महत्व तभी है जब वह साकार हो, जब नागरिक उसका उपभोग कर सके, जब उसका उल्लधन करने वाले को दंड दिया जा सके । स्वतंत्रता का अस्तित्व तभी है , जब समाज,राज्य उसे मान्यता दे राज्य की मुहर लगते ही स्वतंत्रता अधिकार बन जाती है ठीक इसी प्रकार समाज व्दारा मान्यता मिलते ही स्वतंत्रता अधिकार बन जाती है।

राज्य की सत्ता स्वतंत्रता आंलिगन कर लेती है तो वह अधिकार बन जाती है । इसका अर्थ यह भी न लगाया जाय कि :—

1. अधिकार राज्य व्दारा व्यक्ति पर की गई मेहरबानी है ।
2. अधिकार का आधार राज्य की कृपा है।

वास्तव में अधिकार वे सुविधाए हैं जो व्यक्ति के विकास के लिये आवश्यक है इसलिये चाहे वर्जिनिया का संविधान हो या फ्रांसीसी घोषणा पत्र या अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा या संयुक्त राष्ट्र संघ व्दारा मानव अधिकारों की घोषणा या विभिन्न देशों के संविधानों मानव अधिकारों के बारे में की गई चर्चा ।

जिस प्रकार स्वंतत्रता और अधिकार आपस में जुडे हुये है , ठीक उसी प्रकार सुशासन और सूचना के अधिकार का पारस्परिक संबंध है । योजना आयोग की 10 वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में लिखा गया था कि सुशासन का मतलब है लोगों के लिये ऐसी नीतियों पर योजनाओं को बनाना और क्रियान्वित करना जों न्याय संगत , पारदर्शी , भेदभाव रहित, सामाजिक रूप से संवेदनशील और जनसहभागिता जैसे जनसहभागिता जैसे मूल्यों से संपन्न हो तथा मुख्य रूप से लोगो के प्रति जवाबदेह हो। सुशासन, मानवअधिकारों की प्राप्ति के लिये उपयुक्त वातावरण निर्मित करता है । अर्थात यदि शासन संवेदनशील है , जवाबदेह है तो नागरिको से अधिकारो के प्राप्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की विवाद की आशंका समाप्त हो जाती है। मई 2005 में डॉ. मनमोहन, के नेतृत्व में सूचना का अधिकार के संबंध में कानून निर्माण हेतु एक विधेयक सदन में रखा गया । 11 मई 2005 को लोकसभा एवं 13 मई 2005 को राज्य सभा में पारित होने के बाद 16 जुलाई 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के साथ ही इस विधेयक को केन्द्रीय कानून का

कार्य प्राप्त हो गया और यह छत्तीसगढ़ में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावशील है ।

1. <u>जिला पंचायत बिलासपुर के कृत्य ;थ्नदबजपवदद्ध एवं कर्तव्य ; कनजपमेद्ध की विशेषताएँ :–</u>

पंचायत अधिनियम की धारा 10(3) – के अनुसार प्रदेश के हर जिले के कलए एक जिला पंचायत गठित होगी । धारा 30 (1) के अनुसार जिले के अधिकतम 35 तक कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा । एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पचास हजार होनी चाहिए । जिन जिलों की आबादी पांच लाख से कम है उन्हे भी इस बराबर निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जायगा

<u>अनुसूचित क्षेत्रः–</u>

देश के आदिवासी बहुलता वाले इलाकों को संविधान ने अनुसूचित क्षेत्रों में पहचाना है । इस अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कानून के हिसाब से , संसद और विधानमंडलों के ऊपर, देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधायी यानि कानून बनाने कर शक्ति दी गयी है ।

संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 (1) के अनुसार देश के मुख्य आबादी के साथ शामिल आदिवासी इलाकों में प्रशासन की विशेष व्यवस्था के लिए संविधान के विशेष प्रावधान लागू होगें यह प्रावधान संविधान की पांचवी अनुसूची में स्पष्ट लिए गए है । देश के अनेक भागों में आदिवासी रहते है । संसद ने राज्य सारकारों यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह अपने–अपने प्रदेश में आदिवासी बहुलता वाले इलाकों को पहचान कर उन्हे पांचवी अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासकीय नियंत्रण वाले क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे । संयुक्त मध्य प्रदेश के चार पुराने जिलों को पूर्ण रूप से पांचवी अनुसूचि के प्रशासन वाले जिले के रूप में पहचाना गया था । यहां यह स्पष्टीकरण जरूरी है कि देश के सभी आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र नही होते ।

संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत को दो तरह के क्षेत्रों में बांटा जा सकता है

गैर आदिवासी या सामान्य क्षेत्र | आदिवासी या अनुसूचित क्षेत्र

छः जिलों में आदिवासी जनसंख्या के बहुलता वाले क्षेत्रों को पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था । ये जिले हैं रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और धमतरी। हर राज्य की पांचवी अनुसूची की अपनी अलग सूची होती है जिसमें उस राज्य में पांचवी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्र के बारे में लिखा होता है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी सारणी में दी गयी है।

छत्तीसगढ़ में पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में पंचायत कानून का विस्तार देश में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद स्थापित पंचायती राज व्यवस्था को देश के कई राज्यों ने पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में भी लागू कर दिया । राज्य सरकारों के इस कदम का विरोध करते हुए कई लोग अदालत में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गलत माना । देश की संसद ने पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने के लिए वरिष्ठ आदिवासी सांसद श्री दिपीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया । भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर देश की संसद ने पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 बनाया ।

पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 को लागू करने के लिए यह जरूरी था कि पांचवी अनुसूची वाले राज्य अपने प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार कानून बनाएं और प्रदेश में पहले से लागू कई कानूनों में जरूरी बदलाव करे ताकि पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 की भावना के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्रों को स्वशासन के व्यापक अधिकार मिल सकें ।

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने प्रदेश पंचायत अधिनियम में जरूरी संशोधन करते हुए अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को स्वशासन के व्यापक अधिकार दिए गए । इसके लिए प्रदेश के

1. **भू–राजस्व संहिता और**
2. **आबकारी अधिनियम**

में जरूरी संशोधन भी किए गए तथा वन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए ।

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तृत परिचय			
क्रं.	जिले का नाम	अनुसूचित क्षेत्र	विकास खंड
1	बस्तर	पूरा जिला	सभी विकास खंड
2	दन्तेवाड़ा	पूरा जिला	सभी विकास खंड
3	कांकेर	पूरा जिला	सभी विकास खंड
4	कोरबा	पूरा जिला	सभी विकास खंड
5	जशपुर	पूरा जिला	सभी विकास खंड
6	सरगुजा	पूरा जिला	सभी विकास खंड
7	कोरिया	पूरा जिला	सभी विकास खंड
8	**बिलासपुर**	**कटघोरा, बिलासपुर**	**गौरेला–1,गौरेला–2,(पेण्ड्रा रोड), सामुदायिक विकास खंड का कोटा राजस्व निरीक्षक सर्कल एवं मरवाही आदिवासी विकास खंड**
9	रायगढ़	लैलुंगा, धरमजयगढ़, घरघोड़ा तहसीले एवं खरसिया आदिवासी विकास खंड	खरसिया आदिवासी विकास खंड एवं लैलुंगा धरमजयगढ़, घरघोड़ा तहसीलों के सभी विकास खण्ड
10	दुर्ग	बालौद तहसील का डोण्डी आदिवासी विकास खंड	डोण्डी आदिवासी विकास खण्ड
11	राजनांदगांव	चौकी तहसील एवं मानपुर एवं मोहला आदिवासी विकस खंड	चौकी, मानपुर एवं मोहला
12	रायपुर	विंद्रा, नवगढ़	गरियाबंद, मैनपुर व छुरा
13	धमतरी	नगरी (सिंहावा)	नगरी (सिंहावा)

<u>जिला पंचायत की संरचना–</u>

पंचायत अधिनियम की धारा 29(1) के अनुसार निम्नलिखित लोग जिला पंचायत के सदस्य बनेगेः–

– निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य

– लोक सभा के वे सभी सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में है और वह ग्रामीण इलाका इस जिला पंचायत क्षेत्र में हो

– राज्य सभा के ऐसे सभी सदस्य जिनका नाम जिले के किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया हो

– राज्य विधान सभा के सभी सदस्य जो उस जिले से चुने गये है

– लोक सभा और विधान सभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण इलाके में नही आता है वे जिला पंचायत के सदस्य नही होगें ।

छत्तीसगढ़ में पंचायतों के अधिकारों, कर्तव्यों एवम् कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण के मार्गदर्शी सिद्धांतः—

संविधान का अनुच्छेद 40 भारतीय गणराज्य के संदर्भ में यह स्पष्ट करता है कि राज्य पंचायतों का गठन करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा और उन्हे ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा ताकि पंचायतें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम करने लायक बन सकें । अतः यहां पर यह समझना जरूरी है कि पंचायतों को अधिकार देना राज्य (केन्द्र व राज्य सरकार दोनो) के लिए जरूरी है और यह संविधान का निर्देश है । संविधान के इसी निर्देश और अनुच्छेद 243 छ तथा 11वी अनुसूची में सुझाए गये विषयों को ध्यान में रखतें हुए वर्ष 1996—97 में पंचायतों को सशक्त बनाने का सिद्धांत घोषित किया । यह सिद्धांत अत्यन्त व्यवहारिक है और देश के दूसरे राज्यों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकता है । आइए हम इस सिद्धांत को ठीक से समझने का प्रयास करते है । यह सिद्धांत दो भागों में बंटा है । सिद्धांत का पहला भाग पंचायतों को जिम्मेदारियों और अधिकारों को सौंपने से जुड़ा है । सिद्धांत का दूसरा भाग पंचायतों की प्रशासकीय संरचना देने से जुडा है ।

व्यापक सिंद्वात :—

— गांधी ती की पंचायत और स्वशासन की अवधारण और सविंधान के 73वें सविधान शांसोधन के अनुसार स्थापित. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को कारगर बनाना जरूरी है। अतः पंचायतो को केवल स्थानीय स्वशासन की संस्था न मानते हुए स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित किया जाए।

— राज्य सरकार की मुख्य भूमिका नीति नियामक यानि नीति बनाना,क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, समीक्षा और मूल्यांकन करने वाली हों।

नई व्यवस्था में प्रशासकीय सरचंना की स्थापना और बंटवारे के सिंद्वात

— राज्य शासन ने यह माना है कि चूकिं जिला और जिला से नीचे गांव तक के लिए है, अतः जिला और ग्राम स्तर तक कुशल प्रशासन के लिए जिला प्रशासन की आवधारणा लागू करने के लिए प्रयास किया जायें। जिला शासन की व्यवस्था में जिला पंचायत की भूमिका ही जिला शासन होगी।

— जनपद पंचायत (विकास खंड स्तरीय पंचायत) को जिला शासन (जिला पंचायत) की प्रमुख प्रशासनिक इकाई के रूप में विकसित किया जायें। नयी व्यवस्था में जनपद पंचायत की वही भूमिका और महत्व होगा जो प्रदेश शासन में जिलों का रहा है।

— जनपद पंचायत को जिला पंचायत की मुख्य कियांवयन इकाई बनाया जाए।

— जिला पंचायत के जो कार्यक्रम, ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में क्रियान्वित किया जा सकते है उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी जाए और ग्राम पंचायत को जिला पंचायत की क्रियान्वयन इकाई के रूप में विकसित किया जाए।

पंचायत राज व्यवस्था में राज्य सरकार की भूमिका से जुडे सिद्वांत

ग्रामीण क्षेत्रों में अगर पंचायतें स्वशासन की सक्षम संस्था के रूप में विकसीत होती है तो फिर राज्य सरकार और उनके विभागों की आज की भूमिका और जिम्मेदारियां भी बदलनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखतें हुए यह स्पस्ट किया गया है कि —

— नयी व्यवस्था में राज्य सरकार का मुख्य काम नीति नियामक संस्था का होगा यानि सरकार नीति बनायेगी और क्रियान्वयन पंचायते करेंगी और नीतियों के असर और सफलता और असफलता का मूल्यांकन राज्य सरकार करेगीं।

— जहां तक संभव हो सके वहां तक राज्य सरकार पंचायतों के सुझाव के आधार पर पंचायतों के साथ मिल कर जनता के हित के कार्यक्रम बनाएगी और इन कार्यक्रमों को निर्धारित शर्तो के अनुसार पंचायतों को सौपेगी ताकि पंचायतें इन कार्यक्रमों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में इन्हे लागू कर सकें।

— राज्य सरकार से यह अपेक्षा है कि वह ऐसे कार्यक्रमों में और योजनाओं को बनायें जो राज्य प्रवर्तित (जैसे केन्द्र सरकार की योजनायें, स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना,संपूर्ण ग्रमीण रोजगार योजना आदि है) योजनाओं के रूप में जानी जायें। इन राज्य प्रवर्तित (राज्य सरकार) की याजनाओं में पंचायतो के

योगदान को भी तैय किया जाना चाहिए। किस जिले की पंचायत कितना योगदान करेगी यह उस जिले के पिछड़ेपन के आधार पर तैय किया जाना चाहिए।

पंचायतों के लिए प्रशासकीय संरचना

राज्य सरकार ने अपने इस सिंद्वात में यह स्वीकार किया है कि विकेन्द्रीकृत स्वशासन की व्यस्था में जब राज्य सरकार और पंचायतों की भूमिका में बदलाव हो रहा है तों उसी अनुसार राज्य सरकार की प्रशासकीय और वित्तीय व्यस्था में भी बदलाव होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने अपने सिंद्वात में कहा है कि :—

— जिला पंचायत को जिला शासन का रूप देने के लिए जरूरी प्रशासनिक अमला दिया जाए।

— जनपद पंचायत को जिला प्रशासन की मुख्य कियान्वयन ईकाई बनाने के लिए जरूरी प्रशासनिक ढाचा और अमला (मानव संसाधन) दिया जाए।

— ऐसे संसाधन और संस्थायें जिनका गांव के स्तर पर प्रबंधन किया जा सकता है। उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को ही दी जाय।

— राज्य सरकार तथा पंचायत (जिला शासन) के बीच काम का साफ—साफ बंटवारा होना चाहिय ताकि सरकार और पंचायत के कामों में दोहराव ना हों। इसे करने के लिए राज्य का सेक्टर तथा पंचायत का सेक्टर अलग और सुपरिभाषित (मतलब साफ—साफ बताया जाना) किया जाना चाहिए।

जिला पंचायत के काम तथा जिम्मेदारियां

जिला पंचायत को तीन तरह के काम दिये गयें है:—

— व्यवस्था बनाये रखना और वर्तमान गतिविधों का संचालन।

— विकास और बदलाव के लिए योजना और उस योजना को लागू करना।

— ग्राम पंचायत एंव जनपद पंचायतो को मार्ग दर्शन।

व्यवस्था और वर्तमान गतिविधियां

व्यवस्था और वर्तमान गतिविधियों के संदर्भ में भी जिला पंचायत को निम्नलिखित काम दिये गयें है।

कार्यकम का कियान्वयन

— जिला पंचायत की यह जिम्मेदारी है कि जनपद पंचायत में उपलब्ध धन को ध्यान में रखकर
एकीकृत ग्रामीण विकास और ग्प्रमीण रोजगार कार्यकम

— कृषि

— सामाजिक वानिकी

— पशुपालन,मछली पालन

— स्वास्थय, स्वच्छता

— महिला,युवक तथा बाल कल्याण

— निःशक्तो और निराश्रितों का कल्याण

— पिछड़े वर्गो का कल्याण

— परिवार नियोजन

— खेलकूद

— जैसे विषयों पर काम करें।

व्यवस्था और प्रबंधन से जुडे काम :—

— आग ,सुखा,बाढ़,अकाल,महामारी,भूकंप तथा टिड्डी दल जैसी प्राकृतिक विपदा में सहायता की व्यवस्था करना।

— जिला क्षेत्र के भीतर तीर्थ यात्राओं तथा त्योहारों के संबंध में व्यवस्था करना।

— सार्वजनिक नौका घाटो का प्रबंधन तथा देख रेख ।

— सार्वजनिक बाजार, सावर्जनिक मेले प्रदर्शिनि का प्रबंधन ।

विकास तथा बदलाव से जुड़े काम :—

— जिला पंचायत का पहला काम है कि वह अपने जिला क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक योजना तैयार करें।

योजना बनाना :—

— जिला पंचायत को अगर राज्य सरकार ने कोई स्कीम या योजना दी है तो उसकी सालाना योजना को तैय की गई समय सीमा में तैयार कर के राज्य सरकार को भेज देना ताकि यह योजना जिले की सालाना योजना में शामिल हों जायें।

— जिला पंचायत क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों द्वारा उनके क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा समाजिक न्याय की सालाना योजना तैयार करवाना ।

— जिला पंचायतो से प्राप्त सालाना योजना पर विचार करके और उन्हे जोड़ना।

— इसके साथ जिले की भी सालाना को जोड़ कर जिला की सालाना योजना बनाना।

कियान्वयन एंव समन्यवन :—

— जिला पंचायत, जिला पंचायत के समूह के उपर है अतः सिद्वान्त रूप से जिला पंचायत की पहली जिम्मेदारी है पंचायतो के बीच में समन्यन स्थापित करना ताकि विकास और बदलाव को एक प्रभावी दिशा दी जा सकें।पंचायत कानून में इस बात पर काफी बल दिया गया है जैसे — जिला पंचायत के भीतर आने वाली जनपद पंचायतो के बीच समन्यव बनाना और जरूरत पड़ने पर जनपद पंचायतों को सही रास्ता दिखना या मार्ग दर्शन जिला पंचायत की जिम्मेदारी है।

सरकारी विभाग, कर्मचारियों और पंचायतो का नियंत्रण :—

पंचायत राज व्यवस्था में जिले स्तर पर जिला पंचायत स्थापित है। इस जिला पचायत का गठन जिला पंचायत के लिए चुने गये सदस्यो से होता है। जिला पंचायत के सभी सदस्य आपस में एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनते है साथ ही एक दुसरे सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है।

जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के विकास और प्रशासन के लिए जिम्मेदार संस्था है। पंचायत राज व्यवस्था के लागू होने के बाद 1996 में राज्य सरकार ने जिला पंचायत के काम को प्रभावी बनाने के लिए 22 विभागों को जिला स्तर कें कार्यालयों को दो श्रेणी में बांट दिया। ये श्रेणीयां इस प्रकार है:—

जिला स्तर पर विभागीय कार्यालय

1. राज्य क्षेत्र के कार्यक्रम
2. पंचायत क्षेत्र के कार्यक्रम

कार्यालयों के इस विभाजन के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप निर्देशक कृषि जैसे जिला स्तरीय पदों और इनके कार्यालयों को पंचायत क्षेत्र का कार्यालय घोषित किया गया है और इसके अधिन काम करने वाले सभी कर्मचारियों और योजनाओं पर पंचायतों को प्रशासकीय नियंत्रण दिया गया है ।

इस जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बनाया गया था । इस अभिकरण को भी पूरी तरह से जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया है ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रम में दोहराव न हो

ग्रामीण विकास में लगी संस्थाओं में बेहतर समन्वय हो जिला पंचायत, ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य प्रशासनिक इकाई की तरह विकसित हो ।

2. जिला पंचायत बिलासपुर के पदाधिकारीयों /कर्मचारियों/नियोजितों (Employes) की, शक्तियां एंव कर्त्तव्य:—

1.3 जिला पंचायत के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

जिला पंचायत बिलासपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव के अतिरिक्त 21 सदस्य गण है।

जिला पंचायत अध्यक्ष विभिन्न समितियों एवं बैठकों के माध्यम से कार्यो का निर्धारण तथा मूल्यांकन करते है, जबकि सचिव (मु.का.अधि., जि.पंचा.) अपने शासकीय अमले अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

लेखाधिकारी तथा सहा.परि.अधिकारी, अधीक्षक, सहा. अधीक्षक, लेखापाल एवं लिपिको के माध्यम से उक्त निर्धारित कार्यो तथा शासन द्वारा निर्धारित कार्यो को संपादित करते है।

- जिला पंचायत अध्यक्ष :– श्रीमती अंजना मुलकलवार
- जिला पंचायत उपाध्यक्ष :– श्री शंकर कंवर
- जिला पंचा. पदेन सचिव :– मु.का.अधि.,जिला पंचायत
- जिला पंचायत सदस्य :–

जिला पंचायत अध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य :–

1. सारी शक्ति अधिकार , कर्तव्य दायित्व इसका है कि वह जिला पंचायत द्वारा पारित संकल्पों एवं प्रस्तावों को पूरा कराये ।
2. राज्य शासन या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों को पूरा करना, क्योकि वह धारा 52 के अंतर्गत जिला पंचायत को सौंपे गये समस्त कृत्यों को पूरा करने हेतु उत्तरदायी है ।

– जिला सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा तथा उनका नियमों के अंतर्गत संचालन करेगा ।

– जिला पंचायत के अभिलेखों तथा रजिस्टरों की अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा ।

– जिला पंचायत के कर्मचारी द्वारा किये गये कार्यो या की गयी कार्यवाही का पर्यवेक्षण करेगा तथा उन पर नियंत्रण करेगा ।

– जिला पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा ।

– समस्त विवरण/प्रतिवेदन तैयार करायेगी ।

– समस्त मामले, जिनमें जिला पंचायत की मंजूरी आवश्यक है पस्तुत करेगा । इन कंडिकाओं से उभरी शक्ति एवं कर्त्तव्य का विश्लेषण करें ।

अधिनिय में अधीन ही विभिन्न कंडिओं के अंतर्गत निर्णय लिये जाते है । वे अब पारदर्शी बनाये गये है अर्थात उन्हें सूचना फलक पर लगाया जाता है। उनका अवलोकन करने के लिए उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकारी जन सामान्य को है । सामान्य जन एवं पदाधिकारी यह चाहेगे कि उनके निर्णयों का पालन हों ताकि सभी संबंधित आश्वस्त हो सकें । जियमों में समस्त कृत्यों को कियान्वित करने के लिये उन्हे '' प्रत्यक्ष'' उत्तरदायी बनाया गया है ।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष की शक्तियॉं एवं कर्तव्य :–

प्रशासनिक व्यवस्था में उपाध्यक्ष का स्थान स्वाभविक रूप से अध्यक्ष के पश्चात ही आता है । अधिनियम में उपाध्यक्ष का स्थान स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष के पश्चात् ही आता है अधिनियम भी यह कहता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष का उत्तरदायित्व संभालना है । छत्तीसगढ़ पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की शक्तियों तथा कृत्यः नियम 1994 में उपाध्यक्ष की शक्तियां बताई गयी जिसमें यह कहा गया है कि–

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जिला पंचायत के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा ।

(ख) अध्यक्ष को निर्वाचन लंबित होने पर या उस दशा में जब अध्यक्ष किसी कारणवश सम्मिलत रहने में असमर्थ रहता है तो अध्यक्ष की शक्तियों का उपयोग करेगा तथा कृत्यों का पालन करेगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की शक्तियां एवं कर्तव्यः–

पंचायतें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधयिका के स्थान पर है । इस पंचायत रूपी विधायिका के लिए भी कार्यपालिका की व्यवस्था और संरचना स्पष्ट की गई है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत की कार्यपालिका का प्रमुख है । इस व्यवस्था में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पंचायत सेक्टर का मुख्य सचिव भी कहा जा सकता है । जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिले के पंचायत सेक्टर का प्रशानिक

प्रमुख है पंचायतों के कामकाज, रोज के प्रशासन की सक्रियता और पादर्शिता जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के काम—काज पर ही निर्भर करती है । चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत की समितियां भी सिद्धत रूप में पंचायतों की कार्यपालिक व्यवस्था का अंग है अतः पंचायत प्रतिनिधियों और कार्यपालन अधिकारी में समन्वय होना जरूरी है । इस अध्याय में हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी और समन्वय के बिन्दुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । जैसा कि इसके पद नाम से ही जाहिर है कि वह पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत लिये गये निर्णयों का कार्यपालन करेगा एवं कराएगा । व्यवस्था के नीति निर्देशों के अंतर्गत विभागों में संबंधित अमले को इन से पंचायतों को सौंपा है एवं इनका नियंत्रण भी पूरी तरह से सौंप दिया है । इस निर्णय में यह भी साफ किया गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में इन कर्मचारियों का कार्यलयीन प्रमुख होगा ।

मध्य प्रदेश पंचायतराज के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां एवं कृत्य नियम 1995 की कंडिका 3 में उल्लेखित है, '' इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा अनुबंधित है, उसके सिवाय इन अधिनियम के उपबंधों को कार्यन्वित करने के प्रत्योजनों के लिये कार्यपालिक शक्तियां मुख्य कार्यपालन अधिकारी में निहित होगी । '' इसका आशय क्या है ? अधिनियम की बहुत सी धराओं के अंतर्गत निर्णय लिये जाते है और उन्हे क्रियान्वित करना होता है । क्रियान्वित करने वाला उसे इसी अधिनियम द्वारा दी गयी प्राधिकृत शक्ति के अनुसार काम को पूरा कराता है । उसकी अधिकार मान्यता का श्रोत निर्णय है । वे अपने आप में प्राप्त अधिकार नहीं बल्कि उसे कृत्य कराना होता है ।

<u>मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रमुख काम :—</u>

1. राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार तथा अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अध्यार्धान रहते हुए पंचायत के अधिकारियों तथा सेवकों को अभिकथित करेगा तथा उसका पर्यवेक्षण करेगा, उन पर नियंत्रण करेगा ।
2. जिला पंचायत तथा उसकी स्थायी समिति का सम्मिलन बुलायेगा एवं उसकी कार्यवाहियों को बनाये रखेगा ।
3. स्थायी समिति के सम्मेलन में उपस्थित होगा ।
4. पंचायत के सम्मेलन में किसी विषयक के संबंध में जानकारी या स्पष्टीकरण दे सकेगा ।
5. पंचायत संकल्पों को क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही करेगा ।
6. पंचायत व स्थायी समितियों की कार्यवाहियों के समस्त कागज—पत्र एवं अभिलेख की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा ।
7. पंचायत प्रशासन से संबंधित सभी प्रतिवेदन एवं जानकारियां यथा स्थान भेजेगा ।
8. एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसे दी गयी है । पंचायत या स्थायी समिति सम्मेलन की तारीख के 3 दिन के अंदर वह कलेक्टर को इस बात का प्रतिवेदन भेजेगा जहां उसकी राय में पंचायत अथवा अध्यक्ष अथवा स्थायी समिमि के सभापति का कोई आदेश या संकल्प अधिनियमों के अंतर्गत बने नियमों अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश के विरूद्ध पाया जाता हो । वह स्वयं निर्णय बदल नहीं सकता । अनावश्यक रोक नहीं सकता ।

<u>इसके अतिरिक्त :—</u>

1. पंचायत के अधीन पद धारण करने वाले किसी अधिकारी या कर्मचारी से या किसी जिला कार्यालय अथवा प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट बुला सकेगा ।
2. पंचायत कर्मियों की अनुपस्थिति/छुट्टी के आवेदनों पर निर्णय ले सकेगा ।
3. किसी अधिकारी के अवकाश पर रहने या अस्थायी स्थानांतरित हो जाने पर अनुपस्थिति के दौरान अस्थायी आंतरिक व्यवस्था कर सकने में सक्षम होगा ।
4. पंचायत के अधीन कोई भी काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारी स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार होगा ।
5. पंचायत के सभी क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण कर सकेगा एवं प्रगति कर नियंत्रण रखेगा ।

6. पंचायत के समस्त कार्य तथा उसकी विकास योजनओं को शीघ्र पूरा कराने के लिए आवश्यक उपाय करेगा ।
7. पंचायत की ओर से सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियां प्रारंभ/संचालित करेगा ।
8. पंचायत के अधीन काम करने वाले सभी शासकीय सेवकों के कार्यो का मूल्यांन करेगा एवं अपने गोपनीय प्रतिवेदन अध्यक्ष को भेजेगा ।
9. प्राधिकृत किये जाने पर पंचायत राशि का आहरण करेगा एवं वितरण की व्यवस्था करेगा । इस संबंध में अभी एक नया संशोधन किया गया है कि चैक का आहरण पंचायत द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर वह कर सकेगा । भ्रम निर्मित होने पर यह निर्देशित किया गया है कि वह प्रत्येक आहरण के पूर्व नस्ती पर अनुमोदन प्राप्त करेगा ।
10. वार्षिक विकास योजनाओं को बनाने की पहल करेगा । बजट तैयार करायेगा तथा ग्राम पंचायतों की सालाना योजनाओं की समीक्षा कर उन्हे जिला पंचायत की योजना में समायोजित करने की कार्यवाही करेगा ।
11. जिला पंचायचत या ग्राम पंचायत द्वारा करों के अधिरोपण के लिये प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा एवं उन्हे चर्चा हेतु पंचायत के सम्मुख प्रस्तुत करायेगा ।
12. पंचायत द्वारा बनाये गये समस्त विनियमों एवं उपविधियों को अपने हस्ताक्षर से प्रकाशित करेगा
13. कर्तव्य के निर्वहन में पंचायत के कर्मचारी के कब्जे या प्रभार में पंचायत के किसी धन या संपत्ति की हानि रोकना, सुनिश्चित करेगा तथा उसे पंचायत अथवा स्थायी समिति के सम्मुख रखेगा ।
14. पंचायत द्वारा उनके किन्ही प्राधिकारियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी किन्ही मामलों का यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से परीक्षण करेगा तथा रिर्पोट देगा कि प्रस्तावित कार्यवाही नियमानुकुल अथवा जारी निर्देशों के अनुरूप है अथवा नहीं ।
15. प्राकृतिक विपदा अथवा रहवासियों के जीवन को होने वाला खतरा अथवा उन्हे व्यापक नुकसान हुआ हो उसकी सूचना तुरंत अध्यक्ष को देगा अथवा जहां पंचायत की संपत्ति को नुकसान हुआ है वहां पर तत्काल कार्यवाही करेगा ।
16. पंचायत के लेखे तथा उसके आडिट के समय नोटिस में लाई गयी किसी त्रुटि, अनियमितताओं को दूर करने का उपाय करेगा ।
17. मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन सभी शक्तियों का भी उपयोग करेगा जो उसे पंचायत द्वारा अथवा राज्य शासन द्वारा तत्समय दी जाती है।

3. जिला पंचायत बिलासपुर में विनिश्चिय किये जाने के प्रकम में अपनाई जाने वाली प्रकिया तथा निगरानी और जवाबदेही का माध्यमः–

जिला पंचायत बिलासपुर की सामान्य सभा में प्रत्येक माह की 28 तारीख को तथा विभिन्न समिति द्वारा निर्धारित तिथियों पर बैठके बुलाकर निर्णय पारित किये जाते है। इन निर्णयों तथा शासन के द्वारा प्राप्त निर्देशों को पालन कराने की जवाबदेही प्रमुख रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की होती है । किन्तु जिला पंचायत के अन्य समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी भी संयुक्त रूप से जवाबदेह होते है। निगरानी का कार्य जिला पंचायत के समस्त सदस्य , अधिकारीगण के साथ–साथ जिला पंचायत की निगरानी समितियॉं भी करती है जो जिला पंचायत सदस्य एवं /अथवा अधिकारियों से मिलकर बनाई जाती है ।

4. जिला पंचायत बिलासपुर व्दारा कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानदण्डः–

मानदण्ड, शासन एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर प्रसारित विभिन्न आदेश एवं नियम है।

5. जिला पंचायत बिलासपुरं व्दारा अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले नियम :–

छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्राम पंचायचत के सरपंच तथा उपसरपंच जिला पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव) नियम 1994

1. छ0ग0 पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उपसरपंच जिला पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियॉं तथा कृत्य) नियम 1994
2. छ0ग0 पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप सरपंच जिला पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कृत्य) नियम 1994
3. छ0ग0 पंचायत (पंचायतों और पंचायत तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच संबंधों का विनियमन) नियम 1994
4. छ0ग0 (पंचायत सीमाओं कापरिवर्तन मुख्यालयों या सीमाओं का बदला जाना) नियम 1994
5. छ0ग0 पंचायत(स्थवर संपत्ति का अंतरण) नियम 1994 (धारा 65 (2))
6. छ0ग0 पंचायत (उपविधियां) नियम, 1994 (धारा 96 (4)
7. छ0ग0 पंचायत (अवसूलीय राशियां) नियम, 1995 (धारा 116)
8. छ0ग0 पंचायत (कराधान के विरूद्ध अपीलों की रीति तथा परिसीमा) नियम 1995 (धारा 79)
9. छ0ग0 पंचायत (कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम, 1995 (धारा 84 (1), (2)
10. छ0ग0 पंचायत (अपील तथा पुनरीक्षण) नियम, 1995 (धारा 91)
11. छ0ग0 पंचा. (अभिलेखों तथा वस्तु की वापसी और धन की वसूली नियम,1995 (धारा 92 (2))
12. छ0ग0 पंचा. (सरकारी भूमियों का प्रबंध) नियम, 1995 (धारा 128)
13. छ0ग0 पंचा. (निर्वाचन, अर्जियां, भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995(धारा122 (1), (3))
14. छ0ग0 पंचा. (यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियम, 1995 धारा 117)
15. छ0ग0 पंचा.(निर्धन व्यक्तियों को उधारों की मंजीरी) नियम, 1995 (धारा 49 (28))
16. छ0ग0 जिला पंचायत (लेखा) नियम 1999
17. छ0ग0 पंचायत (ग्रामीण विकास सेवा भरती) नियम, 1999
18. छ0ग0 पंचायत (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक उद्यानिकी सेवा भरती) नियम, 1999
19. छ0ग0 पंचायत(मत्स्य पालन सेवा भरती) नियम, 1999
20. छ0ग0 पंचायत(स्वास्थ्य तथा भरती) नियम, 1999
21. छ0ग0 पंचायत(भू राजस्व पर उपकर की वृद्धि तथा वितरण) नियम, 1999

22. छ0ग0 पंचायत सेवा(अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999
23. छ0ग0 पंचायत सेवा(कला कर्मी) भरती नियम, 1999
24. छ0ग0 पंचायत (सामग्री तथा माल का क्रय) नियम, 1999

6. जिला पंचायत बिलासपुर के अधीन दस्तावेजः—

1	रशीद पुस्तको का स्टाक रजिस्टर
2	रोकड़ बही
3	बैंक रजिस्टर
4	बैंक समाधन विवरण
5	समाधान लेजर
6	विशिष्ट प्रयोजन अनुदान का रजिस्टर
7	अनुदानों की प्राप्ति और व्यय का रजिस्टर
8	वितरित अनुदानों का रजिस्टर
9	(वार्षिक) भाटक, रेट तथा करों का रजिस्टर
10	(मासिक) भाटक, रेट तथा करों का रजिस्टर

11	संदाय प्रमाणक
12	वेतन देयक रजिस्टर
13	कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिभूतियों का रजिस्टर
14	ब्याजधारी उधारों तथा अग्रिमों का रजिस्टर
15	बिना ब्याजधारी उधारों तथा अग्रिमों का रजिस्टर
16	निवेश रजिस्टर
17	जुर्माना तथा हस्तियों का रजिस्टर
18	स्थावर संपत्तियों का रजिस्टर
19	स्टांक रजिस्टर
20	मसिक परीक्षण अतिशेष
21	मसिक प्राप्ति तथा संवितरण लेखा
22	वार्षिक प्राप्ति तथा संदाय लेखा
23	आय तथा व्यय लेखा
24	बिल पंजी
25	प्राप्ति संक्षेप पंजी
26	कर्मचारीयों से ली गई प्रतिभूतियों की पंजी
27	एजेंडा पंजी
28	निरीक्षण पंजी
29	माल या चल संपत्ति की पंजी
30	भण्डार पंजी
31	प्रतिभूति पंजी
32	चेक जमा पंजी

7. जिला पंचायत बिलासपुर व्दारा नीति के प्रतिपादन और उनके कियान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रातिनिधि से परामर्श का विवरण :—

जिला पंचायत के समस्त सदस्य, ग्राम की जनता द्वारा चुने जाते है, जो स्वयं जिला पंचायत के नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते है।

8. जिला पंचायत बिलासपुर की स्थायी समितियों का विवरण :—

छ0ग0 पंचायत राज अधिनियम1993 की धारा 47 में यह स्पष्ट किया गया है कि हर स्तर की पंचायतें अपने काम—काज के प्रभावी संचालन के लिए स्थाई समितियों का गठन कर सकती है । यह स्थाई समिमियॉं जिला पंचायत के अधीनस्थ अभिकरण (जिला पंचायत के नियन्त्रण में काम करने वाली संस्था) के रूप में काम करेगी । इन समितियों का बनाने का उद्देश्य है कि—

1. जिला पंचायत के काम—काज में जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा अन्य निर्वाचित सदस्य भी सक्रिय भूमिका निभाऍं ।
2. जिला पंचायत के काम—काज का बंटवारा, जिला पंचायत के सदस्यों के बीच इस प्रकार से हो कि सभी सदस्य अपनी रूचि के विषय पर काम कर सकें ।

जिला पंचायत बिलासपुर की विभिन्न स्थायी समितियों का विवरण निम्नानुसार है :–

अ. सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यः–

ब. कृषि समिति के सदस्य

स. शिक्षा समिति के सदस्य

द. सहकारिता एंव उघोग समिति के सदस्य

इ. संचार एवं संकर्म समिति के सदस्य

फ. स्वास्थ समिति के सदस्य

9. जिला पंचायत (डी.आर.डी.ए.) के अधिकारियों/कर्मचारियो/ नियोजितों की डायरेक्टरी :–

10. रयायतों और अनुज्ञापत्रों (**Perunit**) के प्राप्तकर्त्ता का विवरण (वर्ष 2009–10) :–

इस कार्यालय से संबंधित नहीं है ।

11. इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें :–

जिलापंचायत बिलासपुर की विभिन्न सूचनायें जिला पंचायत बिलासपुर की वेबसाईट – www.zpbilaspur.gov.in पर उपलब्ध है ।

12. नागरिकों के लिये जिला पंचायत बिलासपुर व्दारा सूचना प्राप्त करने के लिये उपलब्ध सुविधायें:–

1. सूचना पटल
2. दस्तावेजों को प्राप्त करने की व्यवस्था
3. अभिलेखों का निरीक्षण
4. जिला पंचायत बिलासपुर की वेबसाईट– www.zpbilaspur.gov.in

16. लोक सूचना अधिकारियो के नाम, पदनाम तथा अन्य विशिष्टियां ;च्तजपबनसंतेद्धः–

17. <u>अन्य सूचनायें :—</u>

आवेदक व्दारा आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत किये जाने पर प्रभारी प्रकोष्ट व्दारा आवेदन पत्र निर्धारित समय पर प्रदान करने हेतु सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । तत्पश्चात् निर्धारित तिथि में जानकारी प्रदाय हेतु लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। निर्धारित समय में जानकारी प्रदाय नही होने की स्थिति में अपीलीय अधीकारी महोदय के समक्ष अपील करने का प्रावधान है ।

<u>नागरिकों व्दारा मांगी जाने वाली सूचना और उसकी प्रकिया :—</u>

इस हेतु नागरिक, चाही गई सूचना के संबंध में निर्धारित शुल्क सहित आवेदन, प्रकोष्ट प्रभारी को प्रस्तुत करता है । प्रकोष्ट प्रभारी आवेदक को रसीद देने के साथ समस्त विवरण को पंजीबद्ध करता है तथा आवेदन सहायक जन सूचना अधिकारी/जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। बाद में, आवेदन पत्र निरस्त होने अथवा चाही गई जानकारी प्राप्त करने के लिए लगने वाले नकल शुल्क से आवेदक को अवगत कराया जाता है। सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक के उपस्थित होने पर उसके चाहे गये रूप में सूचना उपलब्ध कराई जाती है (या चाहने पर डाक व्दारा प्रेषित की जाती है) तथा फोटों कापी एवं अन्य व्यय की निर्धारित राशि ली जाती है और रसीद देकर विवरण को पंजीबद्ध कर प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किये जाते है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत बिलासपुर.